भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 315

(जिसका उत्तर 24 जून, 2019/03 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाना है)

पैनकार्ड क्लब लिमिटिड द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी

315. डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
डॉ॰ श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर के 5 मिलियन से अधिक निवेशकों ने 7,000 करोड़ रु॰ से अधिक का निवेश पैनकार्ड क्लब लिमिटिड में किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी अवैध रूप से सामूहिक निवेश योजनाएं चला रही थी और निवेशकों के धन का उपयोग करके संपत्ति खरीदी थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पैनकार्ड क्लब लिमिटिड के निदेशकों द्वारा की गई धोखाधड़ी की जांच की है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे और दोषी और चूककर्ता अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि कंपनी की भारत में 84 संपत्तियां हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या कंपनी के स्वामित्व में कुछ होटल और रिसॉर्ट हैं, जो अभी भी खुले हैं और 2014 से व्यापार कर रहे हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा निवेशकों के पैसे को सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदमों के साथ-साथ इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क): जी, हां। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), मुम्बई पुलिस ने सूचित किया है कि सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार पैन कार्ड क्लब्स लिमिटिड (पीसीएल) ने देश भर 51 लाख निवेशकों से 7,034 करोड़ रुपए के निवेश एकत्र किए थे।

(ख): ईओडब्ल्यू, मुम्बई पुलिस द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, कंपनी और उसके निदेशकों ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से बिना किसी अनुमति के 3 से 9 वर्ष की अवधि की विभिन्न निवेश योजनाएं जारी की जिसमें होटल डिस्काउन्ट, दुर्घटना बीमा और प्रतिफलों की उच्च दर का वायदा किया तथा निवेशकों की निधियों का उपयोग करके संपत्तियां खरीदी। सेबी ने सूचित किया है कि कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा पीसीएल को व्यक्तिगत सुनवाई का मौका प्रदान करने के बाद सेबी ने यह निर्णय दिया कि पीसीएल एक अपंजीकृत सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) चला रही थी।

(ग): कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने सूचित किया है कि मंत्रालय ने पैन कार्ड क्लब्स लिमिटिड के कार्य-कलापों की जांच का आदेश दिया है तथा उसने इसे जांच हेतु एसएफआईओ को सौपा है।

मुम्बई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने सूचित किया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 420 और 34 के साथ पठित महाराष्ट्र जमाकर्ताहित संरक्षणअधिनियम, 1999 की धारा 3 और 4 के अंतर्गतअपराध करने हेतु पीसीएल और उसके निदेशकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की है।

सेबी ने दिनांक 29.02.2016 का आदेश पारित किया है जिसमें पीसीएल तथा उसके निदेशकों को, अन्य बातों के साथ-साथ, योजना के अंतर्गतएकत्रकिए गए धन को प्रस्तावकी शर्तोंके अनुसार देय प्रतिफलके साथ उसके निवेशकों को 3 माह की अवधि के भीतर वापस करने और उसके बाद सेबी (सामूहिक निवेश योजनाएं) विनियम, 1999 की शर्तों के अनुसार 15 दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। प्रतिभूतिअपीलीय अधिकरण (एसएटी) ने अपने दिनांक 12.05.2017 के आदेश के माध्यम से सेबी के उपर्युक्तआदेश को मान्य ठहराया तथा आदेश के विरुद्ध अपील को खारिज कर दिया। सेबी ने पीसीएल तथा उसके निदेशकों के विरुद्ध वसूली कार्यवाहियांभी प्रारम्भकी तथा साथ ही उनके बैंक खातों, डिमेट खातों, म्यूचुअल फंड फोलियो इत्यादि को कुर्ककर दिया। सेबी ने पीसीएल तथा उसके निदेशकों की अनुषंगियों और सहयोगी कंपनियों, जिसमें पेनोरेमिक यूनिवर्सल लि. (पीयूएल) में शेयरधारिता को भी तथा पीसीएल और उसके सीएमडी की अचल आस्तियों को कुर्क किया था। सेबी ने बैंक खातों तथा शेयरों की बिक्रीसे 1.08 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। सेबी ने सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 12(1ख) के साथ पठित सेबी (सीआई) विनियम, 1999 के विनियम 4 करते हुए के उल्लंघन के लिए पीसीएल तथा उसके निदेशकों के विरुद्ध अभियोजन की शुरुआत भी की।

(घ): कथित गैर-कानूनी/अवैध सीआईएस में निवेशित राशियों में से पीसीएल द्वारा संपत्तियोंका अर्जन किया गया है। सेबी द्वारा पीसीएल, उसके अध्यक्षएवं प्रबंधनिदेशक तथा पीसीएल की अनुषंगियों की 94 संपत्तियांकुर्ककी गयी हैं। इनमें से कुर्ककी गयी 79 संपत्तियांभारत में अवस्थित हैं।

(ङ.): जी, हां। विवरण निम्नानुसार हैः

क्र.सं.	आस्ति का विवरण	स्थिति	तक पट्टे पर है
1	यूनाईटेड 21, जंगल रिसार्ट,पेंच	बिक गयी है	-
2	यूनाईटेड 21, रिसार्ट,महाबलेश्वर	बिक गयी है	-
3	यूनाईटेड 21, एमराल्ड, गोवा	बिक गयी है	-
4	यूनाईटेड 21, मैसूर	नहीं बिका है	02 जुलाई, 2020
5	यूनाईटेड 21, कान्हा	नहीं बिका है	30 अप्रैल,2020
6	यूनाईटेड 21, लोनावाला रोड	नहीं बिका है	21 जून, 2020
7	यूनाईटेड 21, पेनोरेमिक सी रिसार्ड, एलेप्पी	नहीं बिका है	06 जुलाई, 2020

जिन संपत्तियोंकी बिक्रीनहीं हुई है उनमें उपर्युक्ततालिका के क्र.सं.4 पर मैसूर की संपत्तिसे 4 लाख रुपए प्रतिमाह की आय प्राप्तहो रही है जिसे सेबी को विप्रेषितकिया जाता है। तथापि, शेष होटलों को पीसीएल द्वारा अवैध रूप से किराए पर चढ़ाया गया था तथा पीसीएल और उसके निदेशकों के विरुद्ध कार्यवाहीप्रारम्भकी गयी थी।

*****